राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1652/2024

विकास कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, सहाडा, जिला भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेश त्रिपाठी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 23.02.2019 (अनुलग्नक–1) के द्वारा सामान्य शिक्षक प्रथम स्तर ग्रेड–3 के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खेड़ा उम्मेदपुरा में हुई थी। अपीलार्थी की पत्नी की नियुक्ति 02.10.2023 (अनुलग्नक–2) के आदेश के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेकली की झुपडिया हुई थी। सरकार की नीति रही है कि जहां तक संभव हो पति–पत्नी दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित रखा जाये। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन दिनांक 02.02.2024 को प्रस्तुत किया था, परंतु उक्त अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
3. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना उचित पाते हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण उचित समय में किया जाए। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन दिनांक 17.01.2024, जो अपीलार्थी ने दिनांक 02.02.2024 को प्रस्तुत किया था, उसका निस्तारण आख्यात्मक आदेश के द्वारा 2 माह में किया जाए।
4. इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)